

पत्रांक-7/पद सृजन-15-02/2025सा0प्र0 18788/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक, गुफ़रान अहमद,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक 04/10/2025

विषय:- निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद जिला न्यायाधीश कोटि से, उप निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) कोटि से एवं सहायक निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) कोटि से अर्थात् कुल 03 (तीन) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना का पत्रांक-74581 दिनांक 08.09.2025 द्वारा निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद जिला न्यायाधीश कोटि से, उप निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) कोटि से एवं सहायक निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) कोटि से अर्थात् कुल 03 (तीन) पदों को सृजित करने की अनुशंसा संसूचित की गयी है।

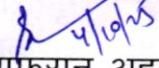
2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्र के साथ व्यय विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख वेतनमान में ₹ 76,99,377/- (छिहत्तर लाख निन्यानवे हजार तीन सौ सतहत्तर रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद जिला न्यायाधीश कोटि से, उप निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) कोटि से एवं सहायक निबंधक (कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट) का 01 (एक) पद असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) कोटि से अर्थात् कुल 03 (तीन) पदों के सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पदों का व्यय-बजट शीर्ष वही होगा, जो पटना उच्च न्यायालय में पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारियों के लिए होगा।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:-व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(गुफुरान अहमद)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/पद सृजन-15-02/2025सा0प्र0 18788/पटना-15, दिनांक 04/10/2025

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-74581 दिनांक 08.09.2025 के प्रसंग में/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 03.10.2025 के मद संख्या-93 के प्रसंग में/संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।

Statement of Annual Estimated Expenditure Chart.

SL. No.	Name of the Post	No. of Post	Pay Scale (P.S.)	Average pay/ Basic pay (Upper Limit of P.S. + Lower Limit of P.S.)/2	Annual Pay (Average Pay x Number of Post x 12)	Dearness Allowance @ 55%	Total Annual Estimated Expenditures
1.	Registrar (Court and Case Management) of District Judge Cadre	01	144840-194660 (J-5)	169750	2037000	1120350	3157350
2.	Deputy Registrar (Court and Case Management) of Civil Judge (Sr. Div.)	01	111000-163030 (J-3)	137015	1644180	904299	2548479
3.	Assistant Registrar (Court and Case Management) of Civil Judge (Jr. Div.)	01	77840-136520 (J-1)	107180	1286160	707388	1993548
Total						Rs. 76,99,377	

{Total (in words) : Rupees Seventy Six Lakh Ninety Nine Thousand and Three Hundred Seventy Seven Only.}

In addition to above mentioned expenditure other allowances admissible to the officers of Judicial service from time to time shall also be payable as mentioned below:-

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. Children Education Allowance | 7. Home Ordely/Domestic Help Allowance | 13. Dress Allowance |
| 2. Concurrent Charge Allowance | 8. House Rent Allowance | 14. Special Pay for Administrative Work |
| 3. Conveyance/Transport Allowance | 9. Furniture & Air Conditioner Allowance | 15. Sumptuary Allowance |
| 4. Earned Leave Encashment | 10. Leave Travel Concession/Home Travel Concession | 16. Phone/Mobile Allowance |
| 5. Electricity and Water Charges | 11. Medical Allowance | 17. Transfer Grant |
| 6. Higher Qualification | 12. Newspaper and Magazine Allowance | |


(गुफरान अहमद)

सरकार के अपर सचिव।